हापुड़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

प्रेस नोट

थाना - पिलखुवा **दिनांक:- 20-09-2024**

" थाना पिलखुवा पुलिस ने ब्लाइन्ड मर्डर का किया खुलासा "

- **थाना पिलखुवा पुलिस ने थाना क्षेत्र में करीब 06 दिन पूर्व घटित सुरेश की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी को किया गिरफ्तार ।**
- **जिसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक टूटा हुआ बैंटा, रस्सी के टुकड़े बरामद ।**
- **अभियुक्त पवन पर मृतक सुरेश द्वारा टिप्पणी/मजाक की गई थी, जिससे क्षुब्ध होकर पवन द्वारा सोते समय सुरेश की हत्या करने की घटना को अंजाम दिया गया था ।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13-09-2024 की रात्रि में ग्राम पबला निवासी सुरेश का शव घेर में पड़ा मिला था, जिसकी अज्ञात अभियुक्त द्वारा हत्या किये जाने के सम्बन्ध में मृतक के भाई सुधीर सिंह द्वारा थाना पिलखुवा पर तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु टीमें गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे ।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 486/2024 धारा 103(1) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी को आज दिनांक **20.09.2024** को समय **05.35** बजे जटपुरा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक टूटा हुआ बैंटा, रस्सी के टुकड़े बरामद हुए हैं एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

पवन पुत्र अशोक निवासी ग्राम पीपलाबन्दपुर उर्फ पबला थाना पिलखुवा जनपद हापुड।

बरामदगी का विवरणः-

घटना में प्रयुक्त एक टूटा हुआ बैंटा, रस्सी के टुकड़े।

हत्या का कारणः- दिनांक 13.09.2024 की शाम के समय अभियुक्त पवन व मृतक सुरेश तथा उनका साथी बिजेन्द्र, मृतक के घेर में मदिरा का सेवन कर रहे थे कि इसी दौरान सुरेश द्वारा अभियुक्त पवन की मजाक/टिप्पणी की गई थी, जिससे क्षुब्ध होकर अभियुक्त पवन ने सुरेश पर दरांती उठा ली थी परन्तु बिजेन्द्र द्वारा उस समय दोनों का बीच-बचाव करा दिया था और पवन सुरेश को जान से मारने की धमकी देकर चला गया था। इसके बाद रात्रि समय करीब 10-11 बजे पवन द्वारा पुनः सुरेश के घेर में पहुंचकर सोते समय सुरेश की रस्सी के टुकड़ों से बांधकर बैंटा से गला दबाकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रघुराज सिंह थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
2. उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
3. है0का0 636 दीपक कुमार थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
4. है0का0 580 राजेन्द्र कुमार थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
5. है0का0 अर्किंत कुमार थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
6. है0का0 112 नरेन्द्र कुमार थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
7. का0 781 सन्नी कुमार थाना पिलखुवा जनपद हापुड।